

(A3)

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीआरसी नं. अधिकारी : तत्काल शर्तीय आर्बिट्रेशन

GCMS No- 2021-100

(Bank Case)

Manual no- 60/2021

खुश हाउसिंग फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड, 202, 2nd Floor, Sajjna Apartment, Opposite ICICI Bank, झालावाड रोड, कोटा राजस्थान-324007 में स्थित व कार्यरत है।

- प्रार्थी

बनाम

1. श्री जानकी लाल पुत्र श्री अमर लाल (ऋणी / बंधककर्ता)
पता गाँव गुडला खसरा सं. 140, पट्टा सं. 6670, ग्राम पंचायत- मंडीता पंचायत समिति सांगोद, जिला-कोटा 325202
2. श्री दीपक कुमार बैरवा पुत्र श्री जानकी लाल (सह-ऋणी)
पता गाँव गुडला खसरा सं. 140, पट्टा सं. 6670, ग्राम पंचायत- मंडीता पंचायत समिति- सांगोद, जिला-कोटा 325202

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित-

श्री धर्मवीर सिंह चौधरी, अभिभापक प्रार्थी

आदेश

दिनांक:-01.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खुश हाउसिंग फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड, 202, 2nd Floor, Sajjna Apartment, Opposite ICICI Bank, झालावाड रोड, कोटा राजस्थान-324007 में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने ऋण खाता संख्या L XKOT00517-180002053 से दिनांक 26.12.2017 को 3,45,000/- (अक्षरों: रुपये तीन लाख पैतालीस हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति श्री जानकी लाल पुत्र श्री अमर लाल की आवासीय सम्पत्ति जो कि ग्राम- गुडला, खसरा संख्या-140, पट्टा संख्या- 6670, ग्राम पंचायत- मंडीता, पंचायत समिति- सांगोद, जिला-कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जो कार्यालय ग्राम पंचायत मंडीता पं सं सांगोद जिला-कोटा के विनय विलेख मिसल नं 129, पट्टा सं.- 6670, दिनांक- 12.06.2017 से जानकीलाल बैरवा पुत्र अमरलाल के नाम है। जिसका माप लगभग 756 वर्ग फुट है चतुःसीमा पूर्व में- बाडी भील, पश्चिम में-रास्ता, उत्तर में-बाबूलाल, दक्षिण में-सुखलाल है जो प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.11.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के कुल बकाया रुपये 2,16,371/- रुपये (अक्षरों:- दो लाख सोलह हजार तीन सौ इकतर रुपये मात्र।) दिनांक 20.12.2019 तक व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

अप्रार्थीगण को दिनांक 20.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "जननायक" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 09.01.2020 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया । अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 20.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "जननायक" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 09.01.2020 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 20.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "जननायक" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 09.01.2020 को प्रकाशित करवाया गया। इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की अचल सम्पत्ति श्री जानकी लाल पुत्र श्री अमर लाल की आवासीय सम्पत्ति जो कि ग्राम- गुड़ला, खसरा संख्या-140, पट्टा संख्या- 6670, ग्राम पंचायत- मंडीता, पंचायत समिति- सांगोद, जिला-कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जो कार्यालय ग्राम पंचायत मंडीता पं सं सांगोद जिला-कोटा के विक्रय विलेख मिसल नं 129, पट्टा सं.- 6670, दिनांक- 12.06.2017 से जानकीलाल बैरवा पुत्र अमरलाल के नाम है। जिसका माप लगभग 756 वर्ग फुट है चतुःसीमा पूर्व में- बाडी भील, पश्चिम में-रास्ता , उत्तर में-बाबूलाल, दक्षिण में-सुखलाल है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्त कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.09.2021 को सुनाया गया ।

22.11.21
 (उज्ज्वल राठौड़)
 जिला मजिस्ट्रेट
 कोटा
 जिला मजिस्ट्रेट
 कोटा (राज०)

